सत्यमेव जयते

उत्तराखण्ड सूचना आयोग

सूचना का अधिकार भवन,

मसूरी बाईपास रिंगरोड लाडपुर,देहरादून

दूरभाष नं0–0135–2675780 टैलिफैक्स 2675779

पत्रांक : / उ.सू.आ. / 2014–15 दिनांक 25 फरवरी 2015

सेवा में,

प्रभारी अधिकारी प्रकाशन निदेशालय,
गोविन्द बल्लभ पन्त कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्व विद्यालय,
पन्तनगर, उधमसिंह नगर ।

महोदय,

कृपया अपने पत्र पत्रांक प्र0नि0/1145 दिनांक, 24 जनवरी 2015 का संदर्भ ग्रहण क जिसमें आपने मुम्बई स्थिति कारागृह में विचाराधीन/दोषी कैदियों द्वारा सूचना का अधिक अधिनियम,2005 के अन्तर्गत प्रकाशन निदेशालय की सभी पुस्तको की एक–एक प्रति निःशुल्क मांगी र रही है, के सम्बन्ध में उक्त पत्र में जो राय आपने व्यक्त की गई है वह राय विधि सम्मत है।

विश्व विद्यालय के प्रकाशन निदेशालय द्वारा जो पुस्तके प्रकाशित की गयी है, उनमें गृ तकनीको का विवरण दिया जाता है, पुस्तको के विषय से सम्बन्धित समस्त तकनीकी जानकारी लेख द्वारा संकलित कर पुस्तक की पांडुलिपि प्रकाशन निदेशालय को प्रेषित की जाती है, जिसका निदेशाल द्वारा कई स्तर पर संपादन एवं Proof Reading करने के बाद व विषय से सम्बन्धित किसी विशेषज्ञ प्रमाणित कराने के बाद मुद्रण की स्थिति में लाया जाता है, लेखक व विश्वविद्यालय के बीच एक अनुबन् भी किया जाता है, जिसमें लेखक को बिक्री हुई पुस्तको की संख्या के मूल्य के अनुसार रॉयल्टी व भुगतान करना भी सम्मिलित है। उपरोक्त तथ्यो के आलोक में, सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 व धारा 9 के प्राविधान के अनुसार निशुल्क पुस्तक उपलब्ध कराने पर विश्व विद्यालय ने पुस्तक की विष वस्तु की जानकारी जिस लेखक से ली गई और उसके बदले जो रॉयल्टी लेखक का दी जानी है, व भी नही दी जायेगी और लेखक को दी जाने वाले रॉयल्टी की हानि होगी।

उपरोक्त वर्णित तथ्यो के आलोक में विश्व विद्यालय के प्रकाशन निदेशालय के द्वा प्रकाशित पुस्तके धारा 2(च) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में जो सूचना की परिभाषा दी गई से आच्छांदित नही होती है।

विधि अधिकारी
उत्तराखण्ड सूचना आयोग
देहरादून